

फार्म

31 दिसम्बर 2014 तक अचल सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/कर्मचारी (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो अशोक कुमार शर्मा निम्न जे.पी. सि. डि.क
2. वर्तमान धारित पद निम्न जे.पी. सि. डि.क
3. वर्तमान वेतन रु 16988/- रुपये मास
4. अगली वेतनवृद्धि जुलाई - 2015
5. वर्तमान पद का कुल वेतन सकल राशि 19068/- रुपये मास

उस जिले, संभाग सहस्रील तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उस किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद *** पट्टा, बंध, विरासत, गैट या अन्य किसी प्रकार से अर्जित की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि-(आवासीय प्लाट एवं कृषि भूमि)				07	08
01	02	03	04	05	06	07	08
साम खैरोला पे. कोडारन जिला झारखंड संभाग अजमेर म. 50	रूह	आवासीय प्लाट एवं कृषि भूमि पेडाक संपत्ति	लाभग 20 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	खरीदा गया दि- 25/3/2013 राजेश कुमार पैतक संपत्ति आप व तमना के	लाभग - 150,000/- रुपये वार्षिक आप -	संजय पैतक संपत्ति के अर्जित

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1958 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्थायित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंध पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

हस्ताक्षर शर्मा

नाम अशोक कुमार शर्मा
पद निम्न जे.पी. सि. डि.क